



मि0न0 -53/2022

अनवान : -

1. मुकेश पुत्र पूनमचन्द जाति जाट निवासी महराना हाल आबाद चाहरवाला त0 जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. पूनमचन्द पुत्र उदमीराम जाति निवासी मेहराना हाल आबाद चाहरवाला तहसील व जिला सिरसा।
2. सन्तोष पुत्री पूनमचन्द पत्नी प्रभूराम जाति जाट निवासी महराना हाल आबाद नेठराना त0 भादरा।
3. अनिल कुमार पुत्र पूनमचन्द जाति जाट निवासी महराना हाल आबाद चाहरवाला त0 व जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश नेहरा वादी
श्री दलीप साहु प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 27/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एमआरएन के खाता सं0 51/12 के मु0न0 55 के किला न0 24, 25 मु0न0 56 के किला न0 21 ता 25 मु0न0 60 के किला न0 1 ता 20 मु0न0 61 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, की कुल 8.8550 है0 बारांनी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 पूनमचन्द के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा उदमीराम की खातेदारी हुआ करती थी। उदमीराम के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी वादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुख्यास्मत है।

पखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन सामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 के द्वारा जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में मुकेश के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी
जमाबंदी चक 9 एमआरएन प्रदर्श 1 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 2 जमाबंदी चाहरवाला प्रदर्श 3 व वारिस
प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को
दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का
ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 9 एमआरएन के खाता सं०
51/12 के मु०न० 55 के किला न० 24, 25 मु०न० 56 के किला न० 21 ता 25 मु०न० 60 के किला
न० 1 ता 20 मु०न० 61 के किला न० 4 ता 7, 14 ता 17, की कुल 8.8550है० बारानी खातेदारी में
प्रतिवादी सं० 1 पूनमचन्द के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत
जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का जन्म से
हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के नाम वाद भूमि के अलावा चाहरवाला में अन्य कृषि भूमि
स्थित है जो प्रस्तुत दस्तावेज से साबित है। प्रतिवादी 1 ता 2 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी
व प्रतिवादी सं० 3 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री
किये जाने योग्य है।

अतः : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही
मौजा चक 9 एमआरएन के खाता सं० 51/12 के मु०न० 55 के किला न० 24, 25 मु०न० 56 के
किला न० 21 ता 25 मु०न० 60 के किला न० 1 ता 20 मु०न० 61 के किला न० 4 ता 7, 14 ता 17,
की कुल 8.8550है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 पूनमचन्द के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व
रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं० 1 पूनमचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी मुकेश
प्रतिवादी सं० 3 अनिल कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काप्तकार घोषित किया जाता है।
यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व
रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा
डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/22..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया




(शंकरलाल चौधरी) (राजस्व)
R.A.S.
मुख्याधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 53/2022

अनवान : -

1. मुकेश पुत्र पूनमचन्द जाति जाट निवासी महराना हाल आबाद चाहरवाला त० जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. पूनमचन्द पुत्र उदमीराम जाति निवासी मेहराना हाल आबाद चाहरवाला तहसील व जिला सिरसा।
2. सन्तोष पुत्री पूनमचन्द पत्नी प्रभूराम जाति जाट निवासी महराना हाल आबाद नेठराना त० भादरा।
3. अनिल कुमार पुत्र पूनमचन्द जाति जाट निवासी महराना हाल आबाद चाहरवाला त० व जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश नेहरा व वकील प्रतिवादी श्री दलीप साहु की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 9 एमआरएन के खाता सं० 51/12 के मु०न० 55 के किला न० 24, 25 मु०न० 56 के किला न० 21 ता 25 मु०न० 60 के किला न० 1 ता 20 मु०न० 61 के किला न० 4 ता 7, 14 ता 17, की कुल 8.8550है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 पूनमचन्द के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं० 1 पूनमचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी मुकेश प्रतिवादी सं० 3 अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से



(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
भादरा जिला-हनुमानगढ़
भादरा जिला-हनुमानगढ़